

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/वीआरएस-1/2025/

दिनांक:-

**आदेश**

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम  | पदस्थापन जिला | जन्मतिथी   | प्रथम नियुक्ति तिथी | स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथी |
|----------|------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.       | श्रीमति उषा देवी | डीग           | 01.08.1973 | 14.05.1996          | 31.03.2025                  |

इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

इनके विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/वीआरएस-1/2025/ 20

दिनांक:-22/01/2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर, डीग।
- डीपीसी/टीसी सैल।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :21-01-2025 03:23:59